अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और धन-शोधन निवारण (एएमएल) नीति - Aryadhan Financial Solutions Private Limited

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों और धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों और धन शोधन निवारण (एएमएल) उपायों पर एक उचित नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए और बोर्ड के अनुमोदन से इसे लागू किया जाए।

इस नीति के तहत कंपनी और प्रत्येक कर्मचारी को यह करना आवश्यक है:

- कंपनी को धन शोधन या आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल होने से बचाना
- लागू धन शोधन निवारण (एएमएल) /आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) कानूनों और कंपनी के धन शोधन निवारण (एएमएल) कार्यक्रम और प्रक्रियाओं का अक्षरशः और भावना का अनुपालन करना
- संदिग्ध गतिविधि के प्रति सतर्क रहना और उसके बारे में बताना
- लागू कानूनों के तहत अनुमत सीमा तक धन शोधन निवारण (एएमएल)-संबंधित कानून प्रवर्तन और नियामक एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

तदनुसार, आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों - **मास्टर दिशानिर्देश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश, 2016 (12 जून 2025 को अपडेटेड)** (मास्टर निर्देश DBR.AML.BC.No.81/14.01.001/2015-16) के अनुपालन में, कंपनी की निम्नलिखित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और धन शोधन निवारण (एएमएल) नीति को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अप्रूव किया गया है। यह नीति कंपनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी श्रेणियों के प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर लागू होती है।

उद्देश्य

आरबीआई दिशानिर्देशों का उद्देश्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को आपराधिक तत्वों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में धन शोधन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने से रोकना है। दिशानिर्देशों में अकाउंट की वास्तविक पहचान और हिताधिकारी स्वामी, धन के स्रोत, ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, ग्राहक के व्यवसाय के संबंध में अकाउंट में परिचालन की तर्कसंगतता आदि का पता लगाने के लिए उचित प्रयास करने का भी निर्देश दिया गया है, जिससे कंपनी को अपने रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। तदनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी को अपने ग्राहकों की निश्चित पहचान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना है।

नीति के प्रमुख तत्व

कंपनी ने अपनी केवाईसी नीति में निम्नलिखित चार मुख्य तत्व शामिल किए हैं:

- ग्राहक स्वीकरण नीति (सीएपी)
- जोखिम प्रबंधन
- ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी)
- लेनदेनों की देखरेख (मॉनीटरिंग)

ग्राहक स्वीकरण नीति

कंपनी अपने ग्राहकों को स्वीकार करते समय और उनके साथ व्यवहार करते समय निम्नलिखित मानदंडों का पालन

करेगी:

कारोबार के स्वरुप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्नओवर की मात्रा, सामाजिक और आर्थिक स्थिति आदि के अनुसार जोखिम निर्धारण के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया जा सके।

ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, सामाजिक/आर्थिक स्थिति, कारोबार का स्वरुप, उसके ग्राहकों के व्यवसाय और उनके स्थान आदि से संबंधित जानकारी शामिल होती है। उचित सावधानी का स्वरुप और उसकी सीमा कंपनी द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी। तथापि, ग्राहक की प्रोफाइल तैयार करते समय कंपनी ग्राहक से केवल वही जानकारी मांगेगी जो जोखिम की श्रेणी से संबंध रखती हो और वह अनावश्यक दखलअंदाज़ी वाली न हो। ग्राहक की प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज़ होगी और उसमें दिए गए विवरण क्रॉस-सेलिंग या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रकट नहीं किए जाएंगे।

इस नीति का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित लोगों को वित्तीय सेवाओं से वंचित करना नहीं है। उचित जाँच-पड़ताल करते समय कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अपनाई गई प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी भी वास्तविक ग्राहक को सेवाओं से वंचित न किया जाए।

कंपनी खाता खोलने से पहले ग्राहक की पूरी तरह से जाँच-पड़ताल (सीडीडी) करेगी। अगर कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालन करने वाला ग्राहक दूसरा खाता खोलना चाहता है या Aryadhan से कोई अन्य प्रोडक्ट या सेवा प्राप्त करना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में फिर से जाँच-पड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी। अगर खाताधारक की वास्तविक पहचान पता नहीं है, तो कंपनी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) फाइल करेगी।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि

ग्राहक पहचान का मतलब है ग्राहक की पहचान करना और विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोत दस्तावेज़ों, डेटा या जानकारी का उपयोग करके उसकी पहचान सत्यापित करना हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी) विभिन्न चरणों में लागू की जाएगी, जैसे कि व्यावसायिक संबंध स्थापित करते समय; खाता आधारित संबंध बनाते समय; वित्तीय लेनदेन करते समय या जब कंपनी को पहले प्राप्त ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता/सत्यता या पर्याप्तता के बारे में संदेह हो। कंपनी अपनी संतुष्टि के लिए प्रत्येक ग्राहक की पहचान और व्यावसायिक संबंध के अभिप्रेत स्वरुप के प्रयोजन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करेगी।

एक प्रभावी ग्राहक पहचान क्रियाविधि ("सीआईपी") कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को जानने की कोशिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कंपनी की ग्राहक पहचान क्रियाविधि, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और उसके अंतर्गत अधिसूचित प्रासंगिक नियमों (पीएमएलए) के अनुसार, कंपनी के एएमएल (धन शोधन निवारण) कार्यक्रम में एकीकृत है, जिसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:

- कंपनी के साथ लेन-देन करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान को उचित और व्यावहारिक सीमा तक सत्यापित करना
- ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी का रिकॉर्ड बनाए रखना, जिसमें नाम, पता और अन्य पहचान संबंधी जानकारी शामिल है और
- किसी भी लागू सरकारी एजेंसी द्वारा कंपनी को प्रदान की गई ज्ञात या संदिग्ध आतंकवादियों या आतंकवादी संगठनों की सूची देखना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि खाता खोलने वाला व्यक्ति या मौजूदा ग्राहक ऐसी किसी सूची में तो नहीं है।

कंपनी अपने ग्राहकों पर उचित, विशिष्ट और जहाँ आवश्यक हो, उचित सतर्कता बरतेगी, जो ग्राहकों की वास्तविक पहचान जानने और सत्यापित करने तथा धन शोधन या आतंकवाद के वित्तपोषण सहित आपराधिक गतिविधियों का

पता लगाने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए यथोचित रूप से बनाया गया है। प्रक्रियाएँ, दस्तावेज़ीकरण, प्राप्त जानकारी के प्रकार और की जानी वाले केवाईसी उचित सतर्कता के स्तर, कंपनी और ग्राहक के बीच संबंधों (प्रोडक्ट्स, सेवाओं, व्यावसायिक प्रक्रियाओं, भौगोलिक स्थानों) से जुड़े जोखिम के स्तर और ग्राहक की रिस्क प्रोफाइल पर आधारित होंगे।

<u>सभी ग्राहकों के लिए आवश्यक केवाईसी जांच</u>

कंपनी अपने साथ लेन-देन करने वाले सभी ग्राहकों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने और सत्यापित करने के लिए उचित कदम उठाएगी। प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया विशिष्ट उचित सतर्कता मानकों और प्रक्रियाओं को तैयार और कार्यान्वित करेगी जो संबंधित व्यवसायों, ग्राहकों और संबंधित जोखिमों के स्वरुप को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त हों। इन मानकों और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तत्व शामिल होने चाहिए:

पहचान

सभी ग्राहकों की पहचान एक विशिष्ट पहचान कोड द्वारा की जाएगी, जिससे ग्राहकों की पहचान की जा सके, उनके द्वारा प्राप्त सुविधाओं को ट्रैक किया जा सके, वित्तीय लेनदेन पर समग्र रूप से नज़र रखी जा सके तथा ग्राहकों की रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए बेहतर नजरिया अपनाया जा सके।

प्रत्येक व्यवसाय प्रक्रिया, लेनदेन करने से पहले, प्रत्येक ग्राहक से उस व्यवसाय के लिए प्रासंगिक निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करेगी:

1. नाम - प्रक्रियाओं के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय प्रक्रियाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास किए जाएं कि ग्राहक के रूप में कंपनी के सिस्टम्स पर दर्ज नाम बिल्कुल वैसा ही होगा (सिर्फ समान, या भिन्नता वाला नहीं) जैसा कि लोन के संबंध में रिव्यु किए गए किसी भी पहचान दस्तावेज पर है;
2. वैयक्तिक के लिए - उम्र/जन्म तिथि; वैयक्तिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (जैसे निगम, साझेदारी या ट्रस्ट) के लिए - निगमन की तारीख;
3. पता, उसके दस्तावेजी प्रमाण सहित;
    (1) वैयक्तिक के लिए, आवासीय या व्यावसायिक गली या सड़क का पता;
    (2) वैयक्तिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (जैसे निगम, साझेदारी या ट्रस्ट) के लिए, व्यवसाय का मुख्य स्थान, स्थानीय कार्यालय या अन्य भौतिक स्थान;
4. टेलीफोन/ई-मेल आईडी;
5. पहचान संख्या:
    I. करदाता पहचान संख्या; पासपोर्ट संख्या और जारी करने वाला देश; भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी लेटर जिसमें आधार संख्या हो; विदेशी पहचान पत्र संख्या; या राष्ट्रीयता या निवास का प्रमाण देने वाले और फ़ोटो या इसी तरह के सुरक्षा उपाय वाले किसी अन्य सरकारी दस्तावेज़ की संख्या और जारी करने वाला देश। किसी ऐसे व्यक्ति (वैयक्तिक के अलावा) के लिए खाता खोलते समय जिसके पास पहचान संख्या नहीं है, व्यवसाय प्रक्रिया को व्यवसाय या उद्यम के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले वैकल्पिक सरकारी जारी दस्तावेज़ का अनुरोध करना होगा;
    II. ऐसे ग्राहक के लिए जिसने आवेदन किया है, लेकिन उसे पहचान संख्या प्राप्त नहीं हुई है, उसका लोन सेंक्शन किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यवसाय प्रक्रिया को यह पुष्टि करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना होगा कि ग्राहक को लोन सेंक्शन करने से पहले आवेदन फाइल किया गया था और लोन के वितरण से पहले उचित समय के अंदर पहचान संख्या प्राप्त हो सकती है।

जहां भी लागू हो, नाबालिग ग्राहक के बालिग होने पर उससे नए फोटो प्राप्त किए जाएंगे।

जहाँ कंपनी का ग्राहक आधार संख्या सहित आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जहाँ आधार संख्या के प्रमाणीकरण की आवश्यकता न हो, वहाँ वह ग्राहक उचित माध्यम से अपना आधार

नंबर हटा दे या काला कर दे। ज़रुरत पड़ने पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किया जा सकता है। आधार का उपयोग, आधार होने का प्रमाण आदि, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभों एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगे।
कंपनी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले दस्तावेज़ों की सूची इस नीति के अनुलग्नक । में दी गई है। इन्हें संबंधित व्यवसायों की क्रेडिट पॉलिसीज में उचित रूप से शामिल किया गया है और क्रेडिट अप्रूविंग प्राधिकारियों को सूचित किया गया है।

स्वामित्व संबंधी मामलों के लिए, कंपनी अनुलग्नक । में दी गई सूची में से कोई भी दो दस्तावेज़ एकत्र करेगी और केवल तभी जब कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ग्राहक के लिए ऐसे दो दस्तावेज़ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, कंपनी को उन दस्तावेज़ों में से केवल एक को एक्टिविटी प्रूफ के रूप में स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा। ऐसी स्थिति में, कंपनी एक्टिविटी प्रूफ़ के रूप में एक दस्तावेज़ स्वीकार करने का उचित कारण दर्ज करेगी।

अगर कोई मौजूदा केवाईसी अनुपालक ग्राहक दूसरा खाता खोलना चाहता है, तो इस प्रयोजन के लिए उसे पहचान का नया प्रमाण और/या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

सत्यापन

क्रेडिट पॉलिसी के एक भाग के रूप में, हर व्यावसायिक प्रक्रिया उचित जोखिम-आधारित प्रक्रियाओं का दस्तावेज़ीकरण और कार्यान्वयन करेगी, जो यह सत्यापित करने के लिए बनाई गई हों कि वह अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान के बारे में उचित विश्वास स्थापित कर सके। ग्राहक के साथ लेन-देन करने से पहले ग्राहक की पहचान का सत्यापन किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया की प्रक्रियाओं में ग्राहक पहचान के सत्यापन के स्वीकार्य तरीकों का वर्णन किया जाएगा, जिसमें दस्तावेज़ों या गैर-दस्तावेजी सत्यापन विधियों के माध्यम से सत्यापन शामिल हो सकता है जो व्यावसायिक प्रक्रिया के स्वरुप, प्रदान किए गए प्रोडक्ट्स और सेवाओं और संबंधित जोखिमों को देखते हुए उपयुक्त हों।

दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन:

इन दस्तावेज़ों में कंपनी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले दस्तावेज़ शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। इन्हें संबंधित व्यवसायों की क्रेडिट पॉलिसीज में उचित रूप से शामिल किया गया है। कंपनी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जा सकने वाले दस्तावेज़ों की सूची इस नीति के अनुलग्नक । में दी गई है। इन्हें संबंधित व्यवसायों की क्रेडिट पॉलिसीज में उचित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। ग्राहक सत्यापन प्रक्रियाओं को प्रत्येक व्यवसाय की क्रेडिट पॉलिसीज में विस्तार से शामिल किया जाएगा।

गैर-दस्तावेजी तरीकों से सत्यापन:

इन तरीकों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
- ग्राहक से संपर्क करना या उससे मिलना;
- उपभोक्ता रिपोर्टिंग एजेंसी, पब्लिक डेटाबेस या अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी के साथ ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की तुलना करके ग्राहक की पहचान का स्वतंत्र रूप से सत्यापन करना;
- अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ रेफरेंस की जांच करना; या
- फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त करना।

अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रियाएँ:

अगर लागू हो, तो व्यवसाय प्रक्रिया सत्यापन प्रक्रियाओं को उन स्थितियों को संबोधित करना चाहिए जहां:

- कोई व्यक्ति सरकार द्वारा जारी किया गया ऐसा पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है, जिस पर फोटो या इसी प्रकार का कोई सेफगार्ड हो;
- बिज़नेस प्रोसेस एसोसिएट प्रस्तुत दस्तावेजों से परिचित नहीं है;
- खाता बिना दस्तावेज प्राप्त किये खोला गया है;
- जहां व्यवसाय प्रक्रिया में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, जिनसे यह जोखिम बढ़ जाता है कि वह दस्तावेजों के माध्यम से ग्राहक की वास्तविक पहचान सत्यापित करने में असमर्थ होगी; और
- अगर व्यवसाय प्रक्रिया वैयक्तिक के अलावा अन्य किसी ऐसे ग्राहक की पहचान सत्यापित नहीं कर सकती है, तो ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं सहित ऐसे खाते पर प्राधिकार या नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है।

जहां कम जोखिम श्रेणी का ग्राहक किसी ऐसे कारण से दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त करता है जिसे कंपनी वास्तविक मानती है, और जहां व्यवसाय के सामान्य संचालन को बाधित नहीं करना आवश्यक है, तो कंपनी संबंध स्थापित होने की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर पहचान का सत्यापन पूरा कर सकती है।

<u>विसंगतियों का समाधान</u>

जब व्यावसायिक प्रक्रिया यह उचित विश्वास न कर सके कि वह उस ग्राहक की वास्तविक पहचान जानता है या आवश्यक उचित सतर्कता पूरी नहीं कर सकता, तो प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया को सूचना संबंधी विसंगतियों को दूर करने और किसी ग्राहक के साथ बिज़नेस करने से इनकार करने या उसे बंद करने के लिए प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण और कार्यान्वयन करना होगा। इन प्रक्रियाओं में ज़िम्मेदार निर्णयकर्ताओं की पहचान और एस्केलेशन पाथ, और ग्राहक की पहचान पर्याप्त रूप से सत्यापित न होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इससे संबंधित विस्तृत मानक शामिल होने चाहिए।

<u>REPORTING</u>

<u>रिपोर्टिंग</u>

व्यवसाय में संदिग्ध लेनदेन, नकली लेनदेन और 10 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन की आंतरिक रिपोर्टिंग की प्रणाली होगी, चाहे ऐसे लेनदेन एकल लेनदेन हों या एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े कई लेनदेन हो, और जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के अंदर होती है।

संदिग्ध लेनदेन" से तात्पर्य ऐसे लेनदेन से है, चाहे वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए हो:

a) संदेह का उचित आधार उत्पन्न करता हो कि इसमें अपराध की आय शामिल हो सकती है; या
b) असामान्य या अनुचित परिस्थितियों में किया गया प्रतीत होता हो; या
c) ऐसा प्रतीत होता हो कि इसका कोई आर्थिक औचित्य या वास्तविक उद्देश्य नहीं है; या
d) संदेह का उचित आधार पैदा होता हो कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।
e) जहां ग्राहकों को कुछ विवरण देने या दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर लेनदेन छोड़ दिया जाता हो

इसके अलावा, अनुपालन अधिकारी उपर्युक्त लेनदेन की जानकारी कंपनी के जोखिम एवं ऋण प्रमुख (रिस्क एंड क्रेडिट हेड) को निर्धारित पते पर इस संबंध में निर्धारित फॉर्मेट में रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि जहां जोखिम एवं ऋण प्रमुख (रिस्क एंड क्रेडिट हेड) के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि एकल

लेनदेन या एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े कई लेनदेन का मूल्यांकन 10 लाख रुपये से अधिक किया गया है, जिससे पीएमएलए विनियमों के प्रावधान विफल हो जाते हैं, तो ऐसे लेनदेन के संबंध में निदेशक को निर्धारित समय के अंदर सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

वित्तीय आसूचना एकक (फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट)-भारत को रिपोर्ट करना: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अपेक्षित सभी नकद और संदिग्ध लेन-देन समय-समय पर वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू) को रिपोर्ट किए जाएँगे। मुख्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी रिपोर्टिंग प्रणाली लागू हो और रिपोर्ट की प्राप्ति मॉनिटर करेंगे।

रिकॉर्ड का रखरखाव

प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया केवाईसी संबंधी उचित सतर्कता और धन शोधन-रोधी उपायों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण और कार्यान्वयन करेगी। व्यावसायिक प्रक्रिया में रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए कम से कम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा:

A) वे लेन-देन जिनके रिकार्ड बनाए रखने की आवश्यकता है:

1. 10 लाख रुपये या उसके बराबर विदेशी मुद्रा से ज़्यादा के सभी नकद लेनदेन।
2. एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े सभी नकद लेनदेन, जिनका व्यक्तिगत मूल्यांकन 10 लाख रुपये या विदेशी मुद्रा में इससे कम है, जहां लेनदेन की ऐसी श्रृंखला एक महीने के अंदर हुई है और मासिक कुल 10 लाख रुपये या इसके बराबर विदेशी मुद्रा से अधिक है।
3. सभी नकद लेनदेन जहां जाली या नकली करेंसी नोटों या बैंक नोटों को वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जहां किसी मूल्यवान सिक्योरिटी की जालसाजी हुई है।
4. सभी संदिग्ध लेन-देन, चाहे नकद में किए गए हों या नहीं।

B) परिरक्षण की जाने वाली जानकारी:

उपरोक्त लेनदेन के संबंध में परिरक्षण की जाने वाली आवश्यक जानकारी है - लेनदेन का स्वरुप, लेनदेन की राशि और वह मुद्रा जिसमें उसका मूल्यवर्गीकरण किया गया, लेनदेन की तारीख और लेनदेन करने वाली पार्टियां।

C) रिकॉर्ड प्रतिधारण की आवधिकता:

संबंधित खाता बंद होने के बाद निम्नलिखित रिकॉर्ड न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक बनाए रखे जाएंगे:
1. ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी और निवास पहचान संबंधी जानकारी, इसके दस्तावेजी साक्ष्य सहित
2. लेन-देन से संबंधित अन्य सभी आवश्यक रिकॉर्ड जो आपराधिक गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के अभियोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं

इसके अलावा, ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का विवरण और साथ ही सत्यापन में किसी भी विसंगति के समाधान का विवरण, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जाने के बाद कम से कम पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखा जाएगा।
उपरोक्त रिकार्ड्स को हार्ड या सॉफ्ट फॉर्मेट में रखा जाएगा तथा अनुरोध किए जाने पर सक्षम प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

CUSTOMER CIP NOTICE

ग्राहक सीआईपी नोटिस

प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया ग्राहकों को इस बारे में पर्याप्त नोटिस प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करेगी कि कंपनी जानकारी देने का अनुरोध कर रही है और उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए कार्रवाई कर रही है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया नोटिस देने का उचित तरीका निर्धारित करेगी, जिसे इस तरह से तैयार किया जाएगा कि ग्राहक खाता खोलने से पहले ऐसे नोटिस देख सके या उसे अन्यथा दिया जा सके।

संवर्धित उचित सावधानी

कंपनी मुख्य रूप से रिटेल फाइनेंस में है। यह ऐसे ग्राहकों की श्रेणी के साथ लेन-देन नहीं करती है जो धन शोधन, आतंकवादी का वित्तपोषण या राजनीतिक भ्रष्टाचार का संभावित उच्च जोखिम पैदा कर सकते हैं और जिनकी कड़ी जाँच की आवश्यकता है। कंपनी की अपने विभिन्न व्यवसायों के संबंध में मौजूदा क्रेडिट पॉलिसीज यह सुनिश्चित करती हैं कि कंपनी ऐसे उच्च-जोखिम वाले ग्राहकों के साथ लेन-देन नहीं कर रही है। कंपनी उन सभी ग्राहकों या खातों के संबंध में संवर्धित उचित सावधानी रखेगी जो संभावित रूप से उच्च जोखिम पैदा करने वाले हैं और जिनकी गहन जाँच करनी हैं। प्रत्येक व्यवसाय प्रक्रिया में संवर्धित उचित सावधानी के संचालन के लिए उचित मानक, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की जाएंगी, जिसमें मानक केवाईसी उचित सावधानी द्वारा अपेक्षित के अलावा अतिरिक्त उचित सावधानी या जांच की कार्रवाई करना शामिल होगा।

कंपनी द्वारा संवर्धित उचित सावधानी का समन्वय और निष्पादन किया जाएगा, जो आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त बाहरी जाँच सेवाओं को शामिल कर सकती है या उपयुक्त विक्रेता द्वारा बेचे गए डेटाबेस से परामर्श कर सकती है। प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया में, जब कंपनी आवश्यक संवर्धित उचित सावधानी को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाती है या जब प्राप्त जानकारी का प्रतिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो किसी भी ग्राहक के साथ व्यापार करने से इनकार करने या उसके साथ संबंध समाप्त करने की प्रक्रियाएँ स्थापित की जाएँगी।

निम्नलिखित सांकेतिक सूची है जहां ग्राहक को उच्च जोखिम वाला माना जा सकता है:
- ग्राहकों द्वारा पते/संपर्क विवरण में बार-बार बदलाव का अनुरोध करना
- ग्राहकों के लोन खाते की गतिविधि में अचानक परिवर्तन
- ग्राहकों द्वारा बार-बार लोन खाते बंद करना और खोलना

संवर्धित उचित सावधानी में जोखिम के पुनः वर्गीकरण, नए केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करने, फील्ड जांच या ग्राहक से मिलना आदि के लिए खाते की बारीकी से निगरानी रखने का तरीका हो सकता है, और ये व्यवसायों की क्रेडिट पॉलिसीज का हिस्सा बनेगी।

थर्ड पार्टी उचित सावधानी पर निर्भरता

कंपनी खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय ग्राहकों की पहचान और सत्यापन के उद्देश्य से किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर रह सकती है; इन शर्तों के अधीन कि
- कंपनी खुद को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाती है कि ग्राहक की उचित सावधानी आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों की प्रतियां अनुरोध पर थर्ड पार्टी द्वारा बिना किसी देरी के उपलब्ध कराई जाएंगी;
- कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी थर्ड पार्टी को विनियमित, सुपरवाइज़ या मॉनिटर किया जाता है, और अधिनियम के तहत आवश्यकताओं और दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की उचित सावधानी और रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए कदम उठाए गए हैं;
- थर्ड पार्टी किसी ऐसे देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं है जिसे उच्च जोखिम वाला माना गया हो; और
- कंपनी अंततः ग्राहक की उचित सावधानी के लिए जिम्मेदार है और जहां लागू हो, वहां संवर्धित उचित सावधानी संबंधी कदम उठाने के लिए भी जिम्मेदार है।

जोखिम का वर्गीकरण

कंपनी खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा और ग्राहक के उच्च जोखिम की आशंका होने पर संवर्धित उचित सावधानी बरतने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु एक प्रणाली स्थापित करेगी। ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की ऐसी समीक्षा छह महीने में कम से कम एक बार की जाएगी।

खाता खोलने के बाद कंपनी के पास ग्राहक पहचान डेटा के आवधिक अपडेशन के लिए एक प्रणाली होगी। कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में फुल केवाईसी प्रक्रिया दस साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में आठ साल में कम से कम एक बार और उच्च जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के मामले में दो साल में कम से कम एक बार फुल केवाईसी प्रक्रिया की जाएगी। ऊपर निर्धारित समय-सीमा खाता खोलने/केवाईसी के अंतिम सत्यापन की तारीख से लागू होगी। आवधिक अपडेशन के समय निर्दिष्ट दस्तावेज़ लिए जाएँगे/उनकी समीक्षा की जाएगी।

अगर कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों की पहचान और पते की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें आवधिक अपडेशन के समय पहचान और पते के नए प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामलों में ग्राहक द्वारा स्व-प्रमाणन ही पर्याप्त होगा। ऐसे 'कम जोखिम' ग्राहकों के पते में परिवर्तन होने पर, वे पते के प्रमाण की प्रमाणित प्रति मेल/पोस्ट आदि द्वारा भेज सकते हैं। नाबालिग ग्राहक के बालिग होने पर उसकी नई फोटो ली जाएँगी। अगर आवश्यक हो, तो नई सीडीडी और केवाईसी प्रक्रिया भी की जा सकती है।

विधिक संस्थाओं के मामले में, अगर केवाईसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो स्व-घोषणा पर्याप्त होगी, लेकिन अगर केवाईसी में परिवर्तन होता है, तो कंपनी खाता खोलने के समय मांगे गए दस्तावेजों को रिव्यु करेगी और विधिक संस्था की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से नई प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करेगी।

विभिन्न प्रोडक्ट श्रेणियों के अंतर्गत सभी ग्राहकों को उनकी प्रोफाइल के आधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम में वर्गीकृत किया गया है। क्रेडिट मैनेजर लेन-देन का मूल्यांकन करने और अपनी स्वीकृति प्रदान करने के दौरान जोखिम वर्गीकरण के आधार पर ग्राहक की प्रोफाइल तैयार करेगा। प्रत्येक व्यावसायिक प्रक्रिया क्रेडिट मूल्यांकन, ग्राहक की पृष्ठभूमि, गतिविधि का स्वरुप और स्थान, मूल देश, धन के स्रोत, ग्राहक प्रोफाइल, ऑफर किए गए प्रोडक्ट्स / सेवाओं के प्रकार, प्रोडक्ट्स / सेवाओं की डिलीवरी के लिए उपयोग किए जाने वाले डिलीवरी चैनल, किए गए लेन-देन के प्रकार - नकद, चेक / मौद्रिक उपकरण, वायर ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेनदेन, आदि के आधार पर अनुपालन की पुष्टि के अधीन अपनी संबंधित क्रेडिट पॉलिसीस में जोखिम वर्गीकरण को अपनाती है। जहां व्यवसायों को लगता है कि नीचे उल्लिखित श्रेणी में आने वाला एक विशेष ग्राहक उनके फैसले में एक अलग श्रेणी में आता है, तो वह ग्राहक को वर्गीकृत कर सकता है, जब तक कि ग्राहक फाइल में उचित औचित्य प्रदान किया जाता है। पूरी तरह से सिक्योर्ड रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट्स के लिए, इस वर्गीकरण से छूट दी जा सकती है।

केवाईसी का अपडेशन/आवधिक अपडेशन (RBI/2025-26/53 DOR.AML.REC.31/14.01.001/2025-26- दिनांक 12 जून 2025)

आरबीआई ने बैंकों सहित विनियमित संस्थाओं (RE) को निर्देश दिया है कि खाता-आधारित संबंध स्थापित करने या ग्राहकों की पहचान के सत्यापन के लिए ग्राहक का केवाईसी आइडेंटिफायर पहला रेफरेंस पॉइंट (संदर्भ बिंदु) होगा। तदनुसार, ग्राहक को ऑनबोर्ड करते समय Aryadhan ग्राहक की सहमति से CKYCR से ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन डाउनलोड करेगा, और ग्राहक को वही रिकॉर्ड दोबारा जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि CKYCR के पास उपलब्ध रिकॉर्ड में कोई बदलाव न हो। ग्राहक को ऑनबोर्ड करने और केवाईसी के अपडेशन/आवधिक अपडेशन की प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है और ये नीचे दी गई हैं:

A. ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए फेस टू फेस (प्रत्यक्ष) तरीका

- ग्राहक को आधार बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से फेस टू फेस (प्रत्यक्ष) मोड

में ऑनबोर्ड किया जा सकता है और, ऐसे मामले में, अगर ग्राहक UIDAI डेटाबेस (यानी, केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी) में उपलब्ध पहचान की जानकारी के अनुसार पते से अलग वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, तो वह Aryadhan को इस आशय की स्व-घोषणा दे सकता है।
- इसके अलावा, ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया की भी अनुमति है।

B. ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए नॉन फेस टू फेस (अप्रत्यक्ष) तरीका
- नॉन फेस टू फेस (अप्रत्यक्ष) मोड में ग्राहक की सहमति-आधारित ऑनबोर्डिंग कुछ शर्तों के अधीन, आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करके की जा सकती है। इसके अलावा, ऐसे खाते की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी और ग्राहक की उचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया एक साल के अंदर पूरी की जाएगी।
- केवाईसी आइडेंटिफायर, समकक्ष ई-दस्तावेज, डिजीलॉकर के ज़रिए जारी किए गए दस्तावेज जैसे डिजिटल मोड का उपयोग करके नॉन फेस टू फेस (अप्रत्यक्ष) मोड में ग्राहक ऑनबोर्डिंग, और नॉन-डिजिटल मोड जैसे कि एनआरआई और पीआईओ के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणन प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करना कुछ शर्तों के अधीन हैं।

C. वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) का उपयोग करके ग्राहक की ऑनबोर्डिंग
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP), ग्राहक उचित सावधानी (CDD) का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसके तहत विनियमित संस्था के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, लाइव, सूचित और सहमति आधारित ऑडियो विज़ुअल बातचीत की जाती है, ताकि ग्राहक उचित सावधानी (CDD) प्रयोजन के लिए आवश्यक पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सके।
- वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) को फेस टू फेस ऑनबोर्डिंग के समान माना जाता है।

D. केवाईसी के अपडेशन और आवधिक अपडेशन की सरल प्रक्रिया
- स्व-घोषणा - विनियमित संस्थाओं को डिजिटल और गैर-डिजिटल तरीकों का उपयोग करके ग्राहकों से "केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं" या "केवल पते के विवरण में बदलाव" के संबंध में स्व-घोषणा प्राप्त करने की अनुमति है, जो कि विनियमित संस्थाओं के साथ रजिस्टर्ड ग्राहक के ईमेल / मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, विनियमित संस्थाओं की मोबाइल एप्लिकेशन), लेटर, बीसी आदि के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- केवाईसी रिकार्ड का अपडेशन/आवधिकअपडेशन, विनियमित संस्था की किसी भी शाखा में किया जा सकता है, जहां ग्राहक का खाता हो।
- केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन के उद्देश्य से आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और वी-सीआईपी की अनुमति है.
- केवाईसी के अपडेशन/आवधिक अपडेशन के उद्देश्य से आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) की अनुमति है।

Aryadhan कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहकों के संबंध में सभी लेन-देन की अनुमति देगा और केवाईसी की समय सीमा समाप्त होने के एक साल के अंदर या 30 जून, 2026 तक (जो भी बाद में हो) केवाईसी का अपडेशन सुनिश्चित करेगा। Aryadhan ऐसे ग्राहकों के खातों को नियमित मॉनिटर करेगा। यह उन कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहकों पर भी लागू होगा जिनके लिए केवाईसी का आवधिक अपडेशन पहले ही ड्यू है।

केवाईसी के अपडेशन/आवधिक अपडेशन के लिए बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) का उपयोग ((RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC.30/14.01.001/2025-26 दिनांक 12 जून 2025)

केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव न होने या केवल पते के विवरण में बदलाव होने की स्थिति में, ग्राहक से स्व-घोषणा बैंक के अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। बैंक अपने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सिस्टम को इन स्व-घोषणाओं और उनके सहायक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बैंक के सिस्टम में रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करेगा।

बैंक, बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के सफल होने के बाद, यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक से इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से सहायक दस्तावेजों सहित स्व-घोषणा प्राप्त करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉनिक मोड में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता, ग्राहक द्वारा ऐसी घोषणा भौतिक रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ग्राहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत स्व-घोषणा और सहायक दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा और उन्हें तुरंत संबंधित बैंक की शाखा को भेजेगा। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ग्राहक को ऐसी घोषणा/दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की प्राप्ति की रिसीप्ट प्रदान करेगा।

बैंक ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा और सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट होने पर ग्राहक को सूचित करेगा। हालाँकि, यह दोहराया जाता है कि केवाईसी के आवधिक अपडेशन की अंतिम ज़िम्मेदारी संबंधित बैंक की ही रहेगी।

केवाईसी के आवधिक अपडेशन के लिए ड्यू नोटिस (RBI/2025-26/51 DOR.AML.REC.30/14.01.001/2025-26 दिनांक 12 जून 2025)

विनियमित संस्था अपने ग्राहकों को उनकी केवाईसी को अपडेट करने के लिए पहले से सूचित करेगा। केवाईसी के आवधिक अपडेशन की नियत तारीख से पहले, विनियमित संस्था अपने ग्राहकों को केवाईसी के आवधिक अपडेशन की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए उपलब्ध संचार विकल्पों/चैनलों के माध्यम से उचित अंतराल पर कम से कम तीन अग्रिम सूचनाएं देगी, जिसमें पत्र द्वारा कम से कम एक सूचना शामिल होगी। विनियमित संस्था नियत तारीख के बाद, जिन ग्राहकों ने अग्रिम सूचनाओं के बावजूद अभी भी आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, उन्हें उचित अंतराल पर कम से कम तीन रिमाइंडर देगा, जिसमें लेटर द्वारा कम से कम एक रिमाइंड शामिल होगा। सूचना पत्र /रिमाइंडर में अन्य बातों के साथ-साथ केवाईसी को अपडेट करने के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश, अगर आवश्यक हो तो सहायता प्राप्त करने के लिए एस्केलेशन तंत्र, और समय पर केवाईसी अपडेट करने में विफलता के परिणाम (यदि कोई हो) शामिल हो सकते हैं। विनियमित संस्था इसे शीघ्रता से क्रियान्वित करेगी, लेकिन 01 जनवरी, 2026 से पहले नहीं।

<u>जोखिम प्रबंधन</u>

कंपनी ने केवाईसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए योग्य क्रियाविधियां स्थापित की हैं। कार्यान्वयन प्रक्रिया में उचित प्रबंध निरीक्षण, प्रणालियाँ और नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं।

कंपनी की आंतरिक ऑडिट और अनुपालन कार्य केवाईसी नीतियों और प्रक्रियाओं के मूल्यांकन और अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

एक सामान्य नियम के रूप में, अनुपालन कार्य विधिक और विनियामक उपेक्षाओं सहित कंपनी की अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन भी प्रदान करता है।

आंतरिक ऑडिटर्स विशेष रूप से केवाईसी प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग की जांच और सत्यापन करते हैं तथा इस संबंध में पाई गई खामियों पर टिप्पणी देते हैं।

<u>लेनदेन पर नज़र रखना</u>

.
निरंतर निगरानी (मॉनिटरिंग) प्रभावी केवाईसी प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य तत्व है। कंपनी जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित और कम तभी कर सकती है जब उसे ग्राहक की सामान्य और उचित गतिविधियों की समझ हो ताकि उनके पास उन लेनदेन की पहचान करने के साधन हों जो नियमित गतिविधि पैटर्न से अलग हैं। तथापि, निगरानी

(मॉनिटरिंग) की सीमा खाते की जोखिम संवेदनशीलता पर निर्भर करेगी। विभिन्न व्यावसायिक प्रभागों को सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेन और उन सभी असामान्य पैटर्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिनका कोई स्पष्ट आर्थिक या दृश्यमान वैध उद्देश्य नहीं है। उच्च जोखिम वाले खातों की गहन निगरानी की जानी चाहिए।
कंपनी को एक उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन/तंत्र स्थापित करना होगा, ताकि जब लेनदेन जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों की अपडेटेड प्रोफाइल के साथ असंगत हो तो अलर्ट जारी किया जा सके।

<u>गोपनीयता दायित्व और सूचना साझा करना</u>

कंपनी ग्राहक और उसके बीच संविदात्मक संबंध से उत्पन्न ग्राहक जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगी। ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना क्रॉस-सेलिंग या किसी अन्य उद्देश्य के लिए कोई भी विवरण प्रकट नहीं किया जाएगा।

<u>CDD PROCERDURE AND SHARING OF KYC INFORMATION WITH CKYCR</u>
<u>सीडीडी (ग्राहक उचित सावधानी) प्रक्रिया और CKYCR के साथ केवाईसी जानकारी साझा करना</u>

कंपनी, नियमों और समय-समय पर जारी आरबीआई केवाईसी निर्देशों में उल्लिखित तरीके से, 'व्यक्तियों' और 'विधिक संस्थाओं' के लिए तैयार किए गए केवाईसी टेम्पलेट के अनुसार, CKYCR के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी एकत्र करेगी। अपलोड करने के लिए CERSAI के दिशानिर्देश लागू होंगे। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि केवाईसी आइडेंटिफायर, व्यक्ति/विधिक संस्था को (जैसा भी मामला हो) सूचित किया जाए।
जब भी विनियमित संस्था इस पैराग्राफ में नीचे दिए गए खंड या पीएमएल नियमों के नियम 9(1सी) के अनुसार किसी ग्राहक से अतिरिक्त या अपडेटेड जानकारी प्राप्त करती है, तो Aryadhan सात दिनों के अंदर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अंदर, CKYCR को अपडेटेड जानकारी प्रदान करेगा, जो CKYCR में मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। इसके बाद CKYCR उन सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करेगा जिन्होंने संबंधित ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड के अपडेशन के बारे में संबंधित ग्राहक के साथ व्यवहार किया है। जब CKYCR किसी मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड में अपडेट के बारे में विनयमित संस्था को सूचित करता है, तो विनयमित संस्था CKYCR से अपडेटेड केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करेगी और विनयमित संस्था द्वारा मेंटेन किए गए केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करेगी।
Aryadhan खाता-आधारित संबंध स्थापित करने, अपडेशन/आवधिक अपडेशन या ग्राहक की पहचान के सत्यापन के प्रयोजन से ग्राहक से केवाईसी आइडेंटिफायर मांगेगा या अगर उपलब्ध हो तो CKYCR से केवाईसी आइडेंटिफायर प्राप्त करेगा और ऐसे केवाईसी आइडेंटिफायर का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगा और ग्राहक से वही केवाईसी रिकॉर्ड या जानकारी या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि-

i. CKYCR के रिकार्ड में मौजूद ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव हुआ हो; या
ii. केवाईसी रिकॉर्ड या प्राप्त की गई जानकारी अधूरी हो या वर्तमान लागू केवाईसी मानदंडों के अनुसार नहीं हो; या
iii. डाउनलोड किए गए दस्तावेज़ों की वैधता अवधि समाप्त हो गई हो; या
iv. विनयमित संस्था ग्राहक की पहचान या पते (वर्तमान पते सहित) को सत्यापित करने, या संवर्धित उचित सावधानी के लिए या ग्राहक की उचित रिस्क प्रोफाइल बनाने के लिए इसे आवश्यक समझती हो।

<u>ग्राहक शिक्षा और कर्मचारियों का प्रशिक्षण</u>

कंपनी ग्राहकों को 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए विशिष्ट साहित्य/प्रचार पुस्तिका आदि तैयार करेगी। कंपनी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ईमेल के माध्यम से फ्रंट डेस्क स्टाफ, ब्रांच स्टाफ और नए सदस्यों को केवाईसी के तत्वों के बारे में लगातार जानकारी देती है।

शाखाओं और अनुषंगी (सब्सिडरी) पर प्रयोज्यता

उपरोक्त दिशानिर्देश भारत में और भारत के बाहर कंपनी की शाखाओं और सहायक कंपनियों पर भी लागू होंगे।

नामित निदेशक/मुख्य अधिकारी की नियुक्ति

कंपनी के महाप्रबंधक श्री इंद्रजीत सिंह, पीएमएलए अधिनियम और नियमों के तहत आवश्यक समग्र अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। जोखिम एवं ऋण (रिस्क एंड क्रेडिट) प्रमुख को मुख्य अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो सूचना प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।

अनुलग्नक I
केवाईसी दस्तावेज़ मैट्रिक्स

दस्तावेज़
मालिक/भागीदार/निदेशकों/वैयक्तिक (किसान) का PAN कार्ड
पते का प्रमाण: मालिक/भागीदारों/निदेशकों/वैयक्तिक (किसान) का आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/वैध पासपोर्ट/यूटिलिटी बिल (3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं)
भू रिकॉर्ड/भूमि किराया समझौता- वैयक्तिक (किसान)
फर्म का GST प्रमाणपत्र
फर्म का मंडी लाइसेंस/उद्यम प्रमाण पत्र
फर्म का पैन कार्ड- पार्टनरशिप/ प्राइवेट लिमिटेड/ FPO/ AOP/ HUF
पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप अथॉरिटी लेटर- पार्टनरशिप फर्म
बोर्ड प्रस्ताव (रेज़ोल्यूशन) , MOA, AOA और निगमन का प्रमाणपत्र- प्राइवेट लिमिटेड
FPO/ AOP मेंबर लिस्ट- FPO/ AOP
लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (LEI) सर्टिफिकेट(गैर-वैयक्तिक जिनका कुल क्रेडिट एक्सपोज़र 5 करोड़ के बराबर या उससे अधिक है)